



छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश

Scholarship and Fee Reimbursement Online System



मा. मुख्यमंत्री जी

संख्या- 84 /2021/1868 /26-3-2021-4(358)/07 टी.सी.।।।

प्रेषक

के० रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 12 जुलाई 2021
विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-346/स०क०/शिक्षा-अ/07/52/2021-22, दिनांक-09.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं बाह्य प्रदेशों में (केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त) संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही एवं छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु वर्ष 2021-22 में विस्तृत समय सारिणी जारी की जानी है। वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति के दृष्टिगत शिक्षण संस्थाओं के बन्द होने के कारण माह जुलाई से समय सारणी प्रारंभ की जा रही है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के लिये छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु वर्ष 2021-22 के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारिणी निर्गत की जाती है:-

क्र० सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित समयवधि
1	2	3
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थाएँ) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाएँ भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये) पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेंसी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	15 जुलाई 2021 से 10 अगस्त 2021 तक
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थाएँ योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना।	15 जुलाई 2021 से 25 अगस्त 2021 तक

ENGLISH TRANSLATION

S. No.	FUNCTIONAL PROCEDURE	ALLOWED TIME PERIOD
1	2	3
1	The process of applying for inclusion in the master data base by the recognized educational institutions located in the state should be done through the Education Department, obtaining the password from the District Social Welfare Officer (new institutions) and filling/uploading the complete information in the master data and making it digital. To authenticate by signature. Digital signatures by all the institutions by entering/updating the information like type of course, total number of seats per course, fee determined by the competent level, course wise marks (in case of semester, including the marks of two semesters), name of course wise affiliating agency/university etc. To authenticate from.	15 July 2021 to 10 august 2021.


प्रकाश देवी
सद्व्यक्ति रमावती देवी अंतर्य महिला
जी० जी० कालीन, पौराणपुर



छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश

Scholarship and Fee Reimbursement Online System



मा. मुख्यामंत्री जी

1वीं	योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/ अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।	15 जुलाई 2021 से 02 सितम्बर 2021 (नोट:- राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकता है।)
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना।	11 अगस्त 2021 से 31 सितम्बर 2021 तक
2ए	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा आनलाइन सत्यापित करना।	04 सितम्बर 2021 से 22 सितम्बर 2021 तक
2 बी	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।	03 सितम्बर 2021 से 22 सितम्बर 2021 तक
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण (विश्वविद्यालय/ अफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा लाक की गयी सीट संख्या एवं फीस से अधिक लाक न की जाय) आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना।	04 सितम्बर 2021 से 22 सितम्बर 2021 तक
4	कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीनीकरण (Renewal) के छात्रों हेतु छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना। (आनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं हेतु 20 जुलाई 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक अनवरत जारी रहेगा।)	20 जुलाई 2021 से 28 अगस्त 2021 तक
5	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हार्डस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 04 दिन के अन्दर, विलम्बतम 01 सितम्बर 2021 तक
7	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना। (नोट:-22 जुलाई 2021 से 07 सितम्बर 2021 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं के डाटा को 01 अक्टूबर 2021 को भुगतान हेतु डाटा में सम्मिलित किया जायेगा।)	22 जुलाई 2021 से 07 सितम्बर 2021 तक
8	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/ छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	20 सितम्बर 2021 से 05 दिसम्बर 2021 तक
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना।	15 सितम्बर 2021 तक
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। (नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) डाटा वाले छात्र/छात्राओं के लिये)	08 सितम्बर से 15 सितम्बर 2021 तक
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल	16 सितम्बर 2021 से 28 सितम्बर 2021 तक


प्रो. राधा
सदर सचिव, मा. मुख्यामंत्री कार्यालय
जी० जी० कालीन, पौरणपुर



छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश

Scholarship and Fee Reimbursement Online System



मा. मुख्यामंत्रि जी

ENGLISH TRANSLATION

2	Within the state, the nodal officer of the concerned university and other affiliating agency and the district school inspector (for class 11-12) should mention the educational institution, course, type of course, number of seats and fees etc. and verify its authenticity online	From 11 august 2021 to 31 September 2021
4	Students should apply online. (Online application for students will continue from 20 July 2021 to 21 October 2021.)	From 20 July 2021 to 28 august 2021
6	The hard copy of the online application form should be submitted by the students to the educational institution along with the desired attachments.	Within four days of filling the application form, latest by 01 September 2021.
7	The educational institution should match the hard copy of the student's online application form and all the details of the student with the original records and receive the online application, verify and forward the online application. (Note- forwarded from the institution from 22 July 2021 to 07 September 2021. The data of students for correct renewal will be included in the data for payment on 01 October 2021.) payment on 01 October 2021)	Form 22 July 2021 to 07 September 2021


प्रिचारिका
सुन्दरकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
जी० जी० कालेज, चौराहापुर



छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश

Scholarship and Fee Reimbursement Online System



मा. मुख्यमंत्री जी

	सिग्रेचर से शुद्ध डाटा लाक किया जाना (नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) डाटा वाले छात्र/छात्राओं के लिये)	
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से लाक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) डाटा वाले छात्र/छात्राओं का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सुजित कराना।	30 सितम्बर 2021 तक
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से लाक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) डाटा वाले छात्रों को कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	01 अक्टूबर 2021 तक
कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण के अवशेष (Renewal) छात्र/छात्राओं हेतु		
14	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	20 जुलाई 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक
15	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हार्डस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
16	आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	25 अक्टूबर 2021 तक
17	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	22 जुलाई 2021 से 28 अक्टूबर 2021 तक
18	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना।	10 नवम्बर 2021 तक
19	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	29 अक्टूबर 2021 से 15 नवम्बर 2021 तक
20	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से शुद्ध डाटा लाक किया जाना।	16 नवम्बर 2021 से 10 दिसम्बर 2021 तक
21	सन्देशस्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमित किया जाना।	16 नवम्बर 2021 से 26 नवम्बर 2021 तक
22	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र-छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर विलम्बतम 29 नवम्बर 2021 तक 17 नवम्बर 2021 से 01 दिसम्बर 2021 तक
23	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र-छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 दिसम्बर 2021 से 09 दिसम्बर 2021 तक
24	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देशस्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	10 दिसम्बर 2021 से 20 दिसम्बर 2021 तक
25	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देशस्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देशस्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से स्वीकृत डाटा लाक किया जाना।	
26	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से लाक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सुजित कराना।	24 दिसम्बर 2021 तक
27	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से लाक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	27 दिसम्बर 2021 तक

नोट:-

- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks/Promoted without marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।


प्रोचार्या
सन्देशकान्त रमावती देवी आर्य महिला
जी० जी० कालीन, पौराणपुर



छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश

Scholarship and Fee Reimbursement Online System



मा. मुख्यामंत्री जी

- 2- छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared ऑप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा सन्देशास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में सन्देशास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (16 नवम्बर 2021 से 26 नवम्बर 2021 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।
- 3- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए)का प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा।
- 4- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड/लिंक करेंगे जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइब हो सके।
- 5- उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार छात्रवृत्ति वितरण दिवस का समारोह प्रत्येक जनपद में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोविड-19 की स्थिति के दृष्टिगत यथासमय अवगत करा दिया जायेगा।

कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(के० रविन्द्र नम्यक)
प्रमुख सचिव

पु०सं०-४५/2021/ 1868 (1)/26-3-2021 तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/ नियोजन/मा०शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(राकेश कुमार)
विशेष सचिव।


प्रो. राधा
सद्व्यवस्थापित रमावती देवी आर्य महिला
जी० जी० कालीन, पौरणपुर